झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

पंचदश– (बजट)सत्र

वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 28 पौष, 1940 [श0] को 18 जनवरी, 2019 [ई0]

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को भेजी गयी सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01–	अ0सू0– 07	श्री ढुलू महतो	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सरल करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	13.01.2019
02–	अ0सू0– 15	श्री फूलचन्द मंडल	मरीजों का बेहतर उपचार।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.01.2019
03–	अ0सू0– 18	श्री अनन्त कु0 ओझा	खासमहल भूमि का रैयती दर्जा।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	13.01.2019
04–	अ0सू0– 06	डॉ0 इरफान अंसारी	भूमि को अतिक्रमण मुक्त करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	13.01.2019
05–	अ0सू0– 12	श्री रबीन्द्र नांथ महतो	अनुबंध कर्मियों को स्थायी सेवा में लेना।।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.01.2019
06–	अ0सू0– 01	श्री सुखदेव भगत	मशीनों का उपयोग	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	12.01.2019
* 07–	अ0सू0– 13	श्री ताला मराण्डी	अधिनियमों को लागू कराना।	विधि	13.01.2019
08–	अ0सू0– 19	श्री शशि भूषण सामाड़	न्यूनतम मजदूरी दरों का प्रचार–प्रसार।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.01.2019

* विधि विभाग से खान एवं भूतत्व विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
09—	अ0सू0— 02	श्री सुखदेव भगत	दाखिल खारिज कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	12.01.2019
10—	अ0सू0— 14	श्री रबीन्द्र नाथ महतो	वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.01.2019
11—	अ0सू0— 10	श्री आलमगीर आलम	बिजली एवं पानी की समुचित आपूर्ति।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.01.2019
12—	अ0सू0— 11	श्री राधाकृष्ण किशोर	राज्य में रोजगार उपलब्ध कराना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.01.2019
# 13—	अ0सू0— 16	श्री राज कुमार यादव	सुसंगत नियोजन नीति बनाना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.01.2019
14—	अ0सू0— 03	श्री राधाकृष्ण किशोर	चिकित्सकों की नियुक्ति।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.01.2019
15—	अ0सू0— 17	श्रीमती गीता कोड़ा	सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्या	13.01.2019
16—	अ0सू0— 04	डॉ0 इरफान अंसारी	चिकित्सक एवं कर्मियों की पदस्थापना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्या	13.01.2019
17—	अ0सू0— 09	श्री आलमगीर आलम	अस्पतालों में कमियों को दूर करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्या	13.01.2019

रॉंची,
दिनांक— 18 जनवरी, 2019 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञापांक— संख्या—प्रश्न—01/2018.....386...../वि0स0, रांची, दिनांक— 16/01/19

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण / मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेश 16.01.19
(सुरेश रजक)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान—सभा, रॉंची।

ज्ञापांक— संख्या—प्रश्न—01/2018.....386...../वि0स0, रांची, दिनांक— 16/01/19

प्रतिः— माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 16.1.19
अवर सचिव, झारखण्ड विधान—सभा, रॉंची।

ज्ञापांक— संख्या—प्रश्न—01/2018.....386...../वि0स0, रांची, दिनांक— 16/01/19

प्रतिः— कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 16.01.19
अवर सचिव, झारखण्ड विधान—सभा, रॉंची।

~~सुभाष~~

15/01/19

श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

①

श्री ढुल्लू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जानेवाले विधानसभा में उठाये अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री ढुल्लू महतो, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि बी0सी0सी0एल0 परियोजना विस्तार एवं कोयला उत्पादन हेतु रैयतों की जमीन का अधिग्रहण करती है जिसके बदले रैयतों को मुआवजा नियोजन एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने का प्रावधान है;	बी0सी0सी0एल0 द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई सी0बी0एक्ट, 1957 के तहत् भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि कंपनी द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है इसके बावजूद पिड़ीत रैयत को मुआवजा एवं नियोजन अभी तक नहीं दिया गया है;	राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि बहुत से मामले 20 वर्ष से ज्यादा समय से लंबित है जिसमें रैयत की भूमि को क्षतिग्रस्त किए जाने के बावजूद किसी प्रकार का नियोजन मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे रैयत दर–दर भटकने को विवश है;	राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बी0सी0सी0एल0 द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी कर लंबित मामले को खत्म कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–8बी0/भू0अ0नि0वि0स0 (अल्प–सूचित)–04/2019......58(7)/रा0 राँची, दिनांक– 17-01-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–154/वि0स0, दिनांक–13.01.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.01.19
सरकार के अवर सचिव

E:\bidhan sabha\Prashn uttar dec 2018.docx

(21)

श्री फूलचंद मंडल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.01.19 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 25 सितम्बर, 2018 से देश भर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) लागू है, जिसके तहत् गरीब परिवार के लोगों को सलाना 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) का देशभर में दिनांक–23 सितम्बर, 2018 से लागू है।
2.	क्या यह बात सही है कि आयुष्मान भारत योजना के लागू होने के उपरांत असाध्य रोग से ग्रस्त गरीब परिवार के मरीजों को उपचार हेतु मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् चिकित्सा सहायता मिलना बंद हो गया है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के बाहर अवस्थित चिकित्सा संस्थान यथा–सी0एम0सी0 भेल्लोर में आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखण्ड में निबंधित गरीब परिवारों या असाध्य रोग से ग्रस्त मरीजों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक। CMC Vellor के द्वारा AB-PMJAY योजना के साथ सूचिबद्वता के लिए आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। इस कारण NHA के साथ Portablity नहीं है।
4.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित योजना के लागू होने के पूर्व जिलों में असाध्य रोग के उपचार हेतु प्राप्त आवेदनों का प्राक्कलन के अनुरूप चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराते हुये सी0एम0सी0 भेल्लोर सहित अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों में झारखण्ड के असाध्य रोग से ग्रस्त मरीजों को बेहतर उपचार हेतु राशि आवंटन करना चाहती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	– आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रारम्भ होने के उपरान्त भी जिलों में असाध्य रोग के उपचार हेतु प्राप्त आवेदनों का प्राक्कलन के अनुरूप चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराते हुए CMC Vellor सहित अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों में झारखण्ड के असाध्य रोग से ग्रस्त मरीजों को बेहतर उपचार हेतु राशि आवंटित की जाती है। – वितीय वर्ष 18–19 में उपबंधित राशि आवंटित की गई है। – तृतीय अनुपूरक बजट में राशि की मॉग की गई है। राशि प्राप्त होते ही आवंटित की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 13/वि0 स0–07–03/2019 18(13) राँची, दिनांकः 17-01-19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक सं0–195/वि0स0 दिनांक 13.01.19 के क्रम में उतर सामग्री की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17 को सूचनार्थ प्रेषित।

17/1/19

सरकार के उप सचिव।

(3)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–18 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज शहरी क्षेत्र अन्तर्गत भूमि खासमहाल को समाप्त कर रैयती भूमि का दर्जा देने हेतु स्थानीय स्तर पर माँग होते रही है, जो ब्रिटिश शासन काल में स्थापित या लागू किया गया काला कानून था;	स्थानीय स्तर पर रैयती भूमि का दर्जा देने हेतु मांग की जाती रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित साहेबगंज खासमहाल क्षेत्र अन्तर्गत कुल 10 मौजा यानि भूमि का रकवा–1421 एकड़ है, जिसके कारण साहेबगंज का विकास कार्य अवरूद्ध एवं सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हो गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विकास कार्य अवरूद्ध एवं सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होने जैसी कोई समस्या संज्ञान में नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि राजस्व विभाग (भू–राजस्व) बंगाल सरकार की अधिसूचना सं0–3902/L.R., दिनांक–02.10.1896 द्वारा संथाल परगना जिले के तेलियागढ़ी परगना के दामिन–ई–कोल राजमहल अनुमण्डल के 08 मौजों को The Santhal Paraganas Rent Rehulation 1886 (Reg.-2 of 1886) की धारा 31 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंगाल सरकार द्वारा कुल 08 मौजों को इस रेग्युलेशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था, जो साहेबगंज खासमहाल के रूप में जाना जाता है;	अधिसूचना के आलोक में लीज की कार्रवाई वर्ष 1901 से कार्यान्वित है तथा वर्तमान में प्रश्नगत भूमि खासमहाल के अन्तर्गत है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज के खासमहाल भूमि का रैयती दर्जा दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–7/खा0म0वि0स0 साहेब0 (अ0सू0)–01/2019....220.....(6)/रा0 राँची, दिनांक– 17-01-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–193/वि0स0, दिनांक–13.01.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/19
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\bidhan sabha\Prashn uttar dec 2018.docx

(4)

डॉ इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–06 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	डॉ इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल कितने गोचर जमीन चिन्हित किये गये है जिस पर अतिक्रमण किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। धनबाद जिला में 2.86 एकड़, दुमका जिला में 45.83 एकड़, जामताड़ा जिला में 16.67 एकड़, गोड्डा जिला में 31 मामला एवं पाकुड़ जिला में 14 मामले पर अतिक्रमण किया गया है। अन्य सभी जिलों में गोचर भूमि पर अतिक्रमण का मामला प्रकाश में नहीं आया है।
2.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना के कुछ गोचर भूमि पर 20 वर्षों से भी अधिक समय से गरीब आदिवासी एवं दलितों ने अपने भूमिहीन होने के कारण बसोबास कर शंतिपूर्ण ढंग से रह रहे थे जिसे प्रशासन ने कानून की आड़ में उजाड़ दिया। ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गोड्डा जिलान्तर्गत केन्दुआ मौजा में कुल 13–08–09 धूर जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। शेष 05 जिलों में इस प्रकार का मामला प्रकाश में नहीं आया है।
3.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के जबरदाहा गाँव में प्रशासन ने 40 आदिवासी परिवारों को उजाड़ दिया ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जामताड़ा जिले में वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री जनसंवाद में गोचर जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत की गयी। उक्त के आलोक में जाँच के क्रम में पाया गया कि कुल 17 व्यक्तियों के द्वारा गोचर भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जाँच के दौरान श्री मनोज मुर्मू, श्री ओमप्रकाश मुर्मू दोनों पिता–कर्नल मुर्मू के द्वारा बदलैन संबंधी कागजात प्रस्तुत किया गया। शेष 15 अतिक्रमणकारियों पर कागजात प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अतिक्रमण वाद चलाया गया एवं उक्त जमीन का अतिक्रमण मुक्त करने हेतु कई बार नोटिस निर्गत किया। अतिक्रमणकारियों के द्वारा गोचर भूमि के समीप अपने–अपने जमीन पर मकान का निर्माण कर लिये जाने के बाद अतिक्रमणकारियों की सहमति से दिनांक–03.11.2018 को गोचर जमीन अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की गई।

4.	क्या यह बात सही है कि राज्य के कई गोचर भूमि पर वशो–बास कर रहे भूमिहीन विस्थापित परिवारों को बिना बसाये प्रशासन द्वारा उजाड़ा गया है;		अस्वीकारात्मक। इस प्रकार का मामला प्रकाश में नहीं आया है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करते हुए उस खण्ड का समर्थन करने हेतु समुचित निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		गोचर जमीन पर अतिक्रमण के मामले संज्ञान में आने पर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाती है। विभागीय संकल्प संख्या–6144/रा0, दिनांक–21.12.17 द्वारा सुयोग्य श्रेणी की परिभाषा को विस्तारित करते हुए सभी सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवारों को आवास हेतु 12.5 डि0 एवं कृषि कार्य हेतु 5.00 एकड़ तक की भूमि बंदोबस्ती करने हेतु सरकार द्वारा नीति निर्धारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा बंदोबस्ती की कार्यवाही की जाती है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–5/स0भू0वि0स0 (अल्प–सूचित)–16/2019.....221.....(5)/रा0 राँची, दिनांक–17-01-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–153/वि0स0, दिनांक–13.01.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(5)

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–18.01.19 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0– 12 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य के सभी अस्पतालों में विगत 12 वर्षों से कर्मी अनुबंध पर कार्यरत है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग का ज्ञापांक–15/वि0स0–07–06/16–63 (15) रांची दिनांक– 18.10.16 के आलोक में एन0आर0 एच0एम0 अनुबंध कर्मियों के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत संबंधित पदों पर नियुक्तियों में प्राथमिकता देने हेतु नीतिगत निर्णय लिया गया है ;	विभागीय अधिसूचना सं0–46 (21) दिनांक–18.12.18 के द्वारा पारा मेडिकल कर्मी यथा परिचारिका श्रेणी– "ए", ए0एन0एम0, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक एवं एक्स–रे–टेक्निशियन की नियुक्ति नियमावली–2018 गठित है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कार्यरत कर्मियों के लिए स्थायी सेवा में लेने संबंधी विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रोस्टर क्लियरेंस के उपरान्त नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध करा दी जायेगी।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-78/18 - 3915 राँची, दिनांक– 17/1/19

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 151 दिनांक– 13-01-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.19
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(6)

श्री सुखदेव भगत, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–18.01.19 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0– 01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य के अनेक अस्पतालों में करोड़ो रूपया का 1195 मशीनों का वर्षों से उपयोग नहीं होने के कारण इन्हें 31 जनवरी 2019 को कंडम करने की घोषणा की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। M/s Mediciti Health Care Services Pvt. Ltd के द्वारा झारखण्ड के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में अधिष्ठापित Biomedical Equipment का Maintenance एवं Management का कार्य अगतस्त 2017 से किया जा रहा है तथा जिसके संबंध में जानकारी ऑनलाईन भी उपलब्ध है। इनके द्वारा सभी स्वास्थ्य संस्थानों में अधिष्ठापित Biomedical Equipment का Tagging/पंजीकरण किये जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार संबंधित स्वास्थ्य संस्थान द्वारा सूचित किये जाने के पश्चात मरम्मति एवं तत्पश्चात् रख रखाव का कार्य किया जाता है। इसी क्रम में ऐसे Equipments जिनका Spare Parts बजार में उपलब्ध नहीं होने के कारण मरम्मति संभव नहीं है या ऐसे बहुत पुराने Equipments जिनमें जंक लगने / Wire Circuit क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मरम्मति संभव नहीं है या ऐसे Biomedical Equipment जिनकी मम्मति पर लागत से ज्यादा का व्यय संभावित/ अनुमानित है ऐसे ही कुल 921 Equipments की सूची संस्थानवार तैयार की गयी है जिन्हें कंडम घोषित किये जाने हेतु सिविल सर्जन की अध्यक्षता में कमिटि बनायी गयी है तथा उपायुक्त के अनुमोदन के पश्चात उपरोक्त Biomedical Equipment को कंडम किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य को 31, जनवरी 2019 तक करने का निदेश दिया गया है।
2-	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के लापरवाही के कारण जनता का करोड़ों रूपया का नुकसान तथा राज्य के हजारों मरीज ईलाज से वंचित हो रहें हैं ;	अस्वीकारात्मक। Equipments का समय और उपयोग के साथ जीर्ण–शीर्ण होना स्वाभाविक है तथा एक समय के अनुसार इनका नियमानुसार आंकलन कर कंडम किया जाना एक सामान्य सी प्रक्रिया है ताकि नये Equipments की आवश्यकतानुसार क्रय किया जा सके तथा मरीजों को बेहतर सुविधा के साथ बेहतर ईलाज हो सके । कंडम घोषित किये Equipments का e- auction का प्रावधान है, जिससे प्राप्त राशि से अन्य Equipments का क्रय किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग समस्त नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है तथा इसी क्रम में अनुपयोगी Equipments का निष्पादन तथा इनके बदले नये Equipments के क्रय का विचार किया जाता है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 1195 मशीन का उपयोंग करना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07- 80/18 43(15) राँची, दिनांक– 17-1-19

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 132 दिनांक– 12-01-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.19.

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

श्री शशिभुषण सामाड़, माननीय वि0स0स0 द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–19 की उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री शशिभुषण सामाड़, **माननीय स0वि0स0**	**श्री राज पलिवार,** **माननीय मंत्री,** **श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार**
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न विभागों के संरचनात्मक निर्माण कार्य सहित राज्य के विकास कार्यों में लगे दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम पारिश्रमिक/मजदूरी दर तय की जाती है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।वस्तुतः न्यूनतम मजदूरी की दरें अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिए निर्धारित की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि ऐसे मजदूरों को संवेदक अथवा संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक/मजदूरी नहीं दी जाती है।	उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। कम मजदूरी भुगतान से संबंधित मामला प्रकाश में आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक/मजदूरी दर के संबंध में सही सूचना/जानकारी नहीं रहने के कारण कार्य कराने वाले एजेंसियों/अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गरीब मजदूरों का शोषण किया जाता है।	उत्तर अस्वीकारात्मक। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी में परिवर्त्तन की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है। मजदूरी की दरें राज्य सरकार तथा विभाग के वेवसाईट पर भी सर्वसुलभ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, श्रम कार्यालयों एवं मुख्य स्थानों पर होर्डिंग/फ्लैक्स के माध्यम से समय–समय पर सूचनायें प्रदर्शित की जाती हैं। साथ ही साथ विभिन्न सरकारी आयोजनों में पम्पलेट भी वितरित किये जाते है।
4.	क्या यह बात सही है कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के संबंध में प्रचार–प्रसार के मामले में विभाग गंभीर नहीं रहती है।	उत्तर अस्वीकारात्मक। न्यूनतम मजदूरी की दरों के प्रचार– प्रसार हेतु विभाग प्रतिबद्ध है। श्रमिक, नियोजक एवं श्रमिक संघों को विभिन्न माध्यमों यथाः होर्डिंग/फ्लैक्स, पम्पलेट, इन्टरनेट एवं समाचार पत्र के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी की जानकारी दी जाती है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मजदूरों के हक में प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर पूरी गंभीरता के साथ न्यूनतम मजदूरी दरों का प्रचार–प्रसार के लिए समुचित कदम उठाने का विचार रखती है? हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है जिससे विदित है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों के प्रचार–प्रसार हेतु सरकार गंभीर है तथा समुचित प्रचार–प्रसार कराये जाते हैं।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण

ज्ञापांकः–01/श्रमा0का0/विधान सभा प्र0न0/03/2019, श्रनि0 138, राँची, दिनांक– 17.01.19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–192, दिनांक–13.01.2019 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.1.19

सरकार के उप सचिव

(9)

श्री सुखदेव भगत, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–02 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री सुखदेव भगत, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 30 दिनों में दाखिल–खारिज करने का 18,136 तथा 90 दिनों में दाखिल–खारिज करने का 2728 मामला लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–07.01.2019 के आकड़ानुसार 30 दिनों से अधिक के कुल–12,333 तथा 90 दिनों से अधिक कुल 932 मात्र मामले लंबित है।
2	क्या यह बात सही है दाखिल–खारिज लंबित होने के कारण जनता को भूमि पर कर्ज लेने, अधिग्रहित भूमि का मुआवजा लेने, घर बनाने के लिए ऋण लेने एवं पानी बिजली का कनेक्शन लेने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्म है, तो क्या सरकार सेवा का अधिकार कानून के तहत तय सीमा में दाखिल–खारिज करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–116/रा०, दिनांक–09.01.2019 द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों, को अपने–अपने जिले में कैम्प लगवाकर लंबित दाखिल–खारिज के मामलों का युद्ध स्तर पर निष्पादन कराने का आदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि०स० (अल्प–सूचित)–05/19–198/ दिनांक–17.01.19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–131 वि0स0, दिनांक–12.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

(10)

श्री रविन्द्रनाथ महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.19 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित
प्रश्न सं0–14 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रविन्द्रनाथ महतो, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची	**श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1. क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार विधान सभा के वर्त्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा चिन्हित अस्पताल अथवा एम्स के दर पर चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के याचिका सं0–694/2015 के आलोक में दिनांक–13.04.2018 को कंडिका–13 में यह उल्लेख है कि रोगी के बीमार होने पर उनके Attendent के द्वारा उच्च स्तरीय अस्पताल ले जाया जाय तथा Medical Officer द्वारा जो भी मेडिकल बिल का सत्यापित किया जाय उसका वास्तविक भुगतान किया जाय ;	केन्द्रीय कर्मियों को CGHS योजना के तहत चिकित्सा सुविधा अनुमान्य है, जबकि झारखण्ड राज्य के कर्मियों को झारखण्ड/बिहार उपचार नियमावली के नियम–26 के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा प्रदत्त है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश का अनुपालन करते हुए किसी भी उच्च स्तरीय अस्पताल में किये गए ईलाज पर हुए वास्तविक (पूर्ण) व्यय की प्रतिपूर्ति भूतलक्षी प्रभाव से लागु करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–13/वि0स0–07–01 /2019 17 (13) स्वा0/राँची/दिनांकः– 17–01–19
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 152/वि0स0 दिनांक 13.01.19 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री आलमगीर आलम, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–18.01.19 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0– 10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य में कुल–3957 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में से 3100 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में बिजली की उचित व्यवस्था नहीं हो पायी है ;	स्वीकारात्मक। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सौभाग्य योजना में गॉव में अवस्थित सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में विद्युत उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त योजना में सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में विद्युत कनेक्सन उपलब्ध करायी जा रही है।
2-	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल– 3957 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में से 2300 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में पानी आपूर्ति की अपनी स्थायी व्यवस्था नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य अन्तर्गत 35 प्रतिशत स्वास्थ्य केन्द्रों में चापाकल/कुऑ के द्वारा पानी की व्यवस्था है बाकि केन्द्रों पर स्थानीय स्तर से एवं शेष स्थानों पर पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य प्रगति पर है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में बिजली एवं पानी की समुचित आपूर्ति की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-79/18 –44(15) राँची, दिनांक– 17/1/19

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 150 दिनांक– 13-01-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.19
सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

(127)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय वि0स0स0 द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–11 की उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री राधाकृष्ण किशोर, **माननीय वि0स0स0**	**श्री राज पलिवार,** **माननीय मंत्री,** **श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार**
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य से प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख श्रम बल काम की तलाश में राज्य से बाहर पलायन करते हैं।	उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि 2001 से लेकर 2015 तक झारखण्ड राज्य के श्रम बलों का पलायन दर 30 % से बढ़ कर 37 % हो गया है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रुप से आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से वर्ष, 2017 में प्रवासी श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया गया जिसमें कुल 78,730 (अठहत्तर हजार सात सौ तीस) प्रवासी श्रमिक प्रतिवेदित हुए हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या झारखण्ड सरकार से पलायन करने वाले श्रम बल को झारखण्ड राज्य में ही रोजगार उपलब्ध करा कर पलायन पर रोक लगाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वे देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपना जीवन–यापन कर सकते हैं। अस्तु, राज्य के किसी भी व्यक्ति को अन्य राज्यों में बेहतर रोजगार हेतु जाने से संवैधानिक रूप से रोका नहीं जा सकता है फिर भी श्रमिकों विशेष कर महिला श्रमिकों का पलायन सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। श्रमिकों के पलायन को हतोत्सहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संवेदनशीलता के साथ कई उपाय किये गये है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा महिला श्रमिकों के अभिभावकों से अपील किया जाना, प्रवासी श्रमिकों के लिए मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P.) प्रचारित किया जाना तथा प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों के आय में वृद्धि के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं से लाभान्वित कराने का प्रयास सम्मिलित है।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांकः–01/श्रमा0का0/विधान सभा प्रश्न/03/2019, श्रनि0 137, राँची, दिनांक– 17.01.19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–192, दिनांक–13.01.2019 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.1.19

सरकार के उप सचिव

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.01.19 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या सं0– 03 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड चिकित्सा सेवा कैडर कि कुल स्वीकृद पदो के विरूद्ध 479, विशेषज्ञ चिकित्सों के 687 तथा झारखण्ड दन्त चिकित्सा सेवा के 116 पद विगत 05 वर्षो से रिक्त है, फलस्वरूप राज्य के चिकित्सा सेवा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत 1633 चिकत्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक संवर्ग अंतर्गत 93 तथा दन्त चिकित्सक संवर्ग अंतर्गत 128 दन्त चिकित्सक कार्यरत है। राज्य की जनता को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड– 1 में वर्णित चिकित्सकों के रिक्त पदो पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में क्रमशः 147, 98 एवं 72 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति विभाग द्वारा की गई है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2018 में दन्त चिकित्सक मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कुल 103 दन्त चिकित्सकों को नियुक्त किया जा चुका है। रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति करने की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 20 / वि0स0–03–06 / 2019 42(3) राँची, दिनांकः 17-01-2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 147 / वि0स0 दिनांक 13.01.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.01.2019
सरकार के अवर सचिव

(15)

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–18.01.19 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0– 17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि MGM College, Jamshedpur एवं PMCH, Dhanbad में Associate एवं Assistant Professors की भारी कमी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित Professors की कमी को Medical Council of India ने गंभीरता से लिया है जिसके कारण इन कॉलेजों की Affiliation भी रद्द की जा सकती है ;	पी0एम0सी0एच0, धनबाद एवं एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के विभिन्न विभागों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुसार विभागीय अधि0सं0–172(9) दिनांक–18.04.18 एवं अधिसूचना सं0–247(9) दि0–07.06.18 द्वारा कुल–36 प्राध्यापक, 87 सह प्राध्यापक एवं 24 सहायक प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त दोनों चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत वैसे योग्य चिकित्सा शिक्षक जो एम0सी0आई मापदण्ड के अनुसार प्रोन्नति हेतु योग्यता धारित करते हैं को भी प्रोन्नति दिये जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 2. इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के विभिन्न विभागों में कुल– 55 ट्यूटर/ वरीय रेजिडेंट को नियुक्त कर पदस्थापित किया गया है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय की गंभीरता के मद्देनजर Associate एवं Assistant Professors की कमी दूर करते हुए नयी नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना सं0–421 (9) दिनांक–22.11.18 द्वारा झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2018 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली में अंकित प्रावधान के आलोक में Assistant Professors के पद पर नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी है। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के विभिन्न विभागों में Assistant Professors के रिक्त पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुरूप करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-05/18 – 245(9) राँची, दिनांक– 17/1/19

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 194 दिनांक– 13-01-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/19

सरकार के उप सचिव

Tiwari

16

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.19 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित
प्रश्न सं0–अ0सू0–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है, कि वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में राज्य के कुल कितने नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया गया है ;	वर्ष 2017–18 में कुल 10 एवं वर्ष 2018–19 में कुल 92 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्ण कराया गया है।
2. क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा जिला के पतरोडीह एवं लदना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन का निर्माण के दो वर्ष बाद भी समुचित चिकित्सक एवं पारा चिकित्सक कर्मियों का पदस्थापन अब तक नहीं किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पतरोडीह, नारायणपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का पद स्वीकृत नहीं है। स्वास्थ्य उप केन्द्र, पतरोडीह के चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसोडीह में सेवाएँ दी जा रही है। (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पतरोडीह, नारायणपरु में कार्यरत चिकित्सा कर्मी :– 1. वीणा तिर्की, ए0एन0एम0 (अनुबंध) 2. फुलवंती कुमारी, ए0एन0एम0 (अनुबंध) 3. प्रियंका कुमारी, ए0एन0एम0 (आउटसोर्स) 4. राजकुमार, फार्मासिस्ट, (आउटसोर्स) 5. रेखा कुमारी, प्रयोगशाला प्रावैधिक (आउटसोर्स) 6. बसंती कुमारी, सफाईकर्मी (आउटसोर्स) 7. रेखा कुमारी, सफाईकर्मी (आउटसोर्स) (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लादना, जामताड़ा में कार्यरत चिकित्सा कर्मी:– 1. डॉ0 निलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी। 2. एस्थर दास, ए0एन0एम0 3. ललीता कुमारी, ए0एन0एम0 (अनुबंध) 4. सरिता कुमारी, ए0एन0एम0 (अनुबंध) 5. बेबी कुमारी, ए0एन0एम0 (अनुबंध) 6. फरीद अंसारी, प्रयोगशाला प्रावैधिक (आउटसोर्स) 7. बलदेव मुर्मू, हैल्थ वर्कर (आउटसोर्स) 8. बेरोनिक मराण्डी, हैल्थ वर्कर (आउटसोर्स) 9. हलीराम मंडल, सफाईकमी (आउटसोर्स) 10. मंगोली मंडल, रात्रि प्रहरी (आउटसोर्स) 11. शक्तिपद मंडल, रात्रि प्रहरी (आउटसोर्स) 12. कंकड मंडल, रात्रि प्रहरी (आउटसोर्स)
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब जामताड़ा सहित राज्य के सभी नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं कर्मियों के लिए पद स्वीकृत कर अविलंब नियुक्ति एवं पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपुर्यक्त कंडिका स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–15/ वि0स0–07–77/2018 · 42(15) स्वा0/राँची/दिनांकः– 17/1/19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 148/वि0स0 दिनांक 13.01.19 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17.1.19
सरकार के संयुक्त सचिव।

(17)

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.19 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित
प्रश्न सं0–अ0सू0–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	**श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1. क्या यह बात सही है, कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में विभिन्न जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा एवं संरचना सहित निति आयोग द्वारा तय किये गये पैमाने पर सर्वे कराकर जिलावार रैंकिंग दी गयी, जिसमें राजधानी राँची का रैंक 15वाँ तथा पाकुड़ जिला का रैंक 21वाँ है ;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वास्थ्य सुविधा एवं संरचना के आधार पर अति पिछड़े जिला के अस्पतालों में कमियाँ को दूर कर लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. सरकार द्वारा मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रसव पूर्व जाँच एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2. शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए नियमित टीकारण किया जा रहा है, साथ ही 19 आकांक्षी जिलों में से 14 जिले यथा, राँची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गुमला एवं पश्चिम सिंहभूम में SNCU (Sick New Born Care Unit) क्रियाशील है, तथा लोहरदगा, गढ़वा, खूँटी एवं चतरा में SNCU निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया गया है। 3. प्रजनन स्वास्थ्य सुधार हेतु 19 आकांक्षी जिलें में से 9 जिला यथा– गोड्डा, गुमला, गढ़वा, पाकुड़, साहेबगंज, चतरा, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम एवं लोहरदगा में मिशन परिवार विकास गतिविधियाँ चलाई जा रही है जिसमें अन्य जिलों के अपेक्षा 15 प्रतिशत अधिक क्रियान्वयन राशि का आवंटन दिया जाता है। 4. स्वास्थ्य सेवाओं से गुणवत्ता प्रदान करने हेतु जिला अस्पतालों का National Quality Assurance Standard के लिए राष्ट्रीय मुल्यांकन प्रक्रिया जाँच जिलों में चल रही है। जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, एवं गोड्डा जिला अस्पताल आकांक्षी जिला अन्तर्गत है। 01 जनवरी 2019 का पूर्वी सिंहभूम जिला अस्पताल को National Quality Assurance Standard प्रमाणीकरण स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है, तथा राँची, सिमडेगा, हजारीबाग, बोकारो एवं गिरिडीह जिला अस्पतालों में राज्य स्तरीय मुल्यांकन (NQAS) प्रक्रियारत है। 5. अकांक्षी जिलों में सहियों के लिए प्राथमिक उपचार किट तथा HBNC किट प्रदान किये जा रहें हैं। अबतक चतरा जिला ने आरोग्य कुंजी के रूपमें यह किट प्रदान किया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–15 / वि0स0–07–76 / 2018 – 41125 स्वा0 / राँची / दिनांकः– 17/1/19
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0–149 / वि0स0 दिनांक 13.01.19 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17.1.19
सरकार के उप सचिव।